न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

प्रर्थीगण:–

श्रीमती निरमा | बनाम | अप्रार्थी:–

अंतर्गत धारा **136** राज. काश्त. अधि. | राज. सरकार

प्रार्थना पत्र सं. 103 / 2025

जीसीएमएस नंबर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
13/8/25	प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो, तहसीलदार जोधपुर प्रार्थना पत्र के तथ्यों एवं रेकर्ड की स्थिति की रिपोर्ट के लिए तहरीर जारी होकर पत्रावली आगामी दिनांक 1/9/25 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर) उपखण्ड अधिकारी	
1/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/9/25 को पेश हो।	
10/9/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट इंतजार वास्ते दिनांक 8/10/25 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)	
8/10/2025	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने हेतु निवेदन [illegible] अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारीः– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्याः– 103/2025
जीसीएमएस नंबरः 2025/276

प्रार्थीः–

1. श्रीमती निरमा पुत्री श्री रामूराम, पत्नी श्री भूराराम जाति मेघवाल निवासी– ग्राम बैरू तह. व जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीः–

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार जोधपुर।

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम</u>

–ःःआदेशःः– दिनांकः– 8/11/25

उपस्थितिः– 1. श्री गोरधन चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से।
2. अप्रार्थी तहसीलदार जोधपुर ।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की सहखातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा सं. 196 रकबा 10.2142 हैक्ट., खसरा सं. 161 रकबा 14.4634 हैक्ट. खसरा सं. 163/2 रकबा 2.1610 हैक्ट. ग्राम लोरडी देजगरा चक 3 पटवार हल्का लोरडी देजगरा भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र बागा तह. व जिला जोधपुर में आई हुई है। प्रार्थीया के पिता रामूराम की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी नामा. में प्रार्थीया का नाम गलती से निरमा की जगह मेडा पुत्री रामूराम दर्ज हो गया। प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम निरमा पुत्री रामूराम आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक पासबुक में भी दर्ज है। अतः प्रार्थीया का सही व वास्तविक नाम निरमा पुत्री रामूराम दर्ज किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार जोधपुर द्वारा क्रमांक रीडर/2025/739 दिनांक 16.09.2025 को रिपोर्ट पेश की जिसमें प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सही होना बताते हुए प्रार्थीया का नाम निरमा उर्फ मेंडा पुत्री रामूराम शुद्ध किए जाने अनुशंषा की गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट व पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया। ग्राम लोरडी देजगरा चक–3 खसरा सं. 196 रकबा 10.2142 हैक्ट. व खसरा सं. 161 रकबा 14.4634 हैक्ट. में मेंडा पुत्री रामूराम वगै. जाति मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज है। नामा. सं. 680, 681 विरासत रामूराम फौत के स्थान पर मेंडा पुत्री रामूराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, जनआधार कार्ड में निरमा दर्ज है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित गांव लोरडी देजगरा चक 3 में खसरा सं. 196, 161 व 163/2 की जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम मेंडा पुत्री रामूराम के स्थान पर निरमा उर्फ मेंडा पुत्री रामूराम दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार जोधपुर को दिए जाते हैं। तहसीलदार जोधपुर आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावे।

प्रीतम कुमार (आई ए एस)
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 9/10/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)